

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छः'

[22/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 1661]

परिशिष्ट (अ)

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 1661 द्वारा श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा सदस्य विधान सभा

क्र.	तहसील	निकाय का नाम	कार्ड संख्या	
			ग्रामीण	नगरीय
1	सोनकच्छ	ज.प. सोनकच्छ	414	-
		न.प. सोनकच्छ	-	6
		न.प. भौरासा	-	7
		न.प. पिपलरावा	-	-
2	टोंकखुर्द	ज.प. टोंकखुर्द	231	-
		न.प. टोंकखुर्द	-	-
कुल योग -			645	13

Amode

अनुभवा अधिवक्ता
मध्य प्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Amode

संयुक्त संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्य प्रदेश

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 1661 द्वारा श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा सदस्य विधान सभा

पात्रता पर्ची जारी करने की श्रेणियों की जानकारी

1. अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार।
2. प्राथमिकता परिवार - इसके अंतर्गत निम्न श्रेणियां शामिल हैं -
 - 2(1) समस्त बीपीएल परिवार।
 - 2(2) समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
 - 2(3) ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
 - 2(4) साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य। हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
 - 2(5) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
 - 2(6) अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
 - 2(7) घरेलू कामकाजी महिलाएँ।
 - 2(8) फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।
 - 2(9) वनाधिकार पट्टेधारी।
 - 2(10) रेलवे में पंजीकृत कुली।
 - 2(11) मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
 - 2(12) बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक।
 - 2(13) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।
 - 2(14) समस्त भूमिहीन कोटवार।
 - 2(15) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
 - 2(16) केशशिल्पी।
 - 2(17) पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।
 - 2(18) एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।
 - 2(19) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हों।
 - 2(20) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हों।
 - 2(21) प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।
 - 2(22) प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2013-14 में प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों के प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
 - 2(23) प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।
 - 2(24) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति।

D. S. D. S.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
आय, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

H. C. M.

संयुक्त संचालक,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश